बैंक ऑफ राजस्थान रिटायर्ड स्टाफ सोसायटी

रजि. नं. 1971 जयपुर (2001-2002)

बी-97, आनन्दपुरी, एम.डी.रोड़, जयपुर-302004

फोन : 0141-2600329

परिपत्र संख्या 2/2006 — दिनांक 6.11.2006

विषय :सोसायटी की चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा जयपुर में दिनांक 17.9.2006 को सम्पन्न।

हमारे परिपत्र संख्या 1/2006 दिनांक 25.8.2006 के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि सोसायटी की साधारणसभा जयपुर में बनीपार्क गुलाब उद्यान समिति भवन, बसंत मार्ग, बनीपार्क, जयपुर में दिनांक 17 सितम्बर, 2006 को प्रात: 11.00 बजे आहूत की जा रही है तथा सोसायटी के समस्त सदस्यों से विनम्र आग्रह किया गयाथा कि वे सभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सभा की कार्यवाही को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने में अपना सहयोग प्रदान करें।

तद्नुसार सोसायटी की चतुर्थ वार्षिक साधारण निकाय की सभा दिनांक 17 सितम्बर, 2006 को जयपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इस साधारण सभा में कुल 81 स्थानीय एवं जयपुर के बाहर से पधारे हुए सदस्यों ने भाग लिया।

साधारण सभा की कार्यवाही में निम्न विषयों पर चर्चा की गई।

1. **अध्यक्ष द्वारा स्वागत भाषण :-**

   सर्वप्रथम सोसायटी के अध्यक्ष श्री एम.सी. बरला ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए हमारे संगठन की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर संगठन को ओर अधिक सशक्त बनाने में सहयोग देने का आह्वान किया।

2. **16.11.2005 को सोसायटी की तृतीय वार्षिक सभा की कार्यवाही पर रिपोर्ट :-**

   सोसायटी की उदयपुर में दिनांक 16.10.2005 को हुई तृतीय वार्षिक सभा की कार्यवाही साधारण सभा में प्रस्तुत की गई, जिसका सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। उदयपुर में हुई साधारण सभा में 78 सदस्यों ने भाग लिया था। उदयपुर में हुई साधारण सभा के सभी इंतजाम उदयपुर चेप्टर के द्वारा किये गये थे एवं इस संबंध में हुए सभी खर्चों का वहन भी उदयपुर चेप्टर द्वारा किया गया था, जिसके लिये सोसायटी ने हार्दिक आभार प्रकट किया।

3. **सोसायटी के कार्यकलापों पर सोसायटी के महामंत्री की रिपोर्ट :-**

   सोसायटी के महामंत्री श्री एस.एल. माहेश्वरी ने सोसायटी के कार्यकलापों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में सोसायटी के विभिन्न चेपटर्स की गतिविधियाँ, अखिल भारतीय स्तर पर बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन समझौते में पेंशन के प्रावधान, बैंक के संचालकगण एवं अधिकारियों से पेंशनर्स की समस्याओं एवं उनके निराकरण के संबंध में वार्ता,

सोसायटी के संविधान में संशोधन आदि विषयों पर विस्तार में विवरण प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सोसायटी के वर्तमान में 475 सदस्य हैं। विगत वर्ष में सोसायटी के संरक्षक श्री गुरुदयाल जी रावत के अतिरिक्त सोसायटीके सदस्यों सर्वश्री शिवप्रसाद दुसाद, ज्ञानस्वरूप गोयल, संतोष कुमार शर्मा, गोपालसिंह राजावत, सूरजकरण चौधरी, रामकृष्ण गर्ग, वी.पी.विलायुथम, धूलजी भोई, गणेशलाल तोतावत, गोपाल कृष्ण गुप्ता, जयनारायण डबकरा, पांचूलाल अग्रवाल, माणकचन्द बड़ेदरा, गोपालसिंह महता, कर्पूरचन्द जैन तथा चान्दमल पटवारी का स्वर्गवास हो गया है। जिनको हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिये भगवान से प्रार्थना की गई।

महामंत्री की रिपोर्ट का सर्वसम्मति से सदस्यों ने अनुमोदन किया।

4. सोसायटी के 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के अंकेक्षित आय-व्यय एवं खाता स्थिति के विवरण की पुष्टि :-

श्री रामरतन जी अग्रवाल द्वारा अंकेक्षित सोसायटी के 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय एवं खाता स्थिति का विवरण सभा में प्रस्तुत किया गया, जिनका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

5. सोसायटी के वर्ष 2006-07 के खातों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति :-

सर्वसम्मति से श्री रामरतन जी अग्रवाल को पुनः सोसायटी के वर्ष 2006-2007 केखातों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक नियुक्त किया गया।

6. बैंक द्वारा जुलाई, 1999 के पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स के कम्युटेशन एवं पेंशन के देरी से हुए भुगतान पर ब्याज के संबंध में बैंक मेनेजमेंट से हुए समझौते पर चर्चा :-

सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा निरन्तर बैंक के संचालकगणों एवं अधिकारियों से जुलाई 1999 के पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स को बैंक द्वारा देरी से हुए कम्युटेशन की राशि तथा देर से हुए पेंशन के एरियर पर ब्याज का भुगतान देने के लिए वार्ता होती रही। चूंकि सोसायटी ने इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट पिटीसन नं. 1854/2002 दायर की थी, जिसका फैसला सोसायटी के हक में बैंक को 18% वार्षिक दर से ब्याज भुगतान करने के आदेश के रूप में हुआ था, परंतु बैंक ने इस आदेश के विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजनल बैंच में एक अपील लगा दी थी, जिसकी सुनवाई कोर्ट में अभी तक लम्बित है। कोर्ट में सुनवाई में अनिश्चितता को देखकर सोसायटी के पदाधिकारी सर्वश्री आर.एल. जैन (उदयपुर), एस.एल. माहेश्वरी एवं श्री प्रभुलाल जैन बैंक मैनेजमेंट से इस संबंध में आउट ऑफ कोर्ट समझौते के लिये मुम्बई जाकर वार्ता करते रहे ताकि संबंधित सदस्यों को उचित ब्याज दर पर बकाया ब्याज का भुगतान जल्दी से जल्दी मिल जाए। सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में बैंक मैनेजमेंट से 4 मार्च, 2006 को अंतिम वार्ता की, जिसमें बैंक मैनेजमेंट ने बैंक के बोर्ड मीटिंग में इस विषय को रखकर सकारात्मक निर्णय लेने के लिये आश्वासन दिया।

इसी संदर्भ में बैंक के बोर्ड ने अपनी 8 सितम्बर, 2006 की मीटिंग में बैंक के संबंधित पेंशनर्स के कम्युटेशन कीराशि के देरी से हुए भुगतान पर साधारण 9% वार्षिक दर से ब्याज देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बैंक ने अपने पत्र दिनांक 16.9.2006 के द्वारा सोसायटी को बोर्ड के इस निर्णय से अवगत कराया तथा यह सूचित किया कि कम्युटेशन की राशि

के देरी से हुए भुगतान पर 9% वार्षिक दर से ब्याज कीराशि का भुगतान दो किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त अक्टूबर/नवम्बर 2006 में एवं दूसरी किश्त का अप्रेल, 2007 में भुगतान किया जायेगा। बैंक द्वारा भेजे गये इस पत्र को सभा में सभी सदस्यों के सामने प्रस्तुत कर पढ़कर सुनाया गया।

परन्तु इस पत्र में बैंक ने केवल देरी से हुए कम्युटेशन की राशि पर ही ब्याज देने का निर्णय लिखा, जबकि दिसम्बर, 1996 केपहले पेंशन के देरी सेहुए एरियर की राशि पर ब्याज देने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी, जबकि बैंक मेनेजमेंट से हुई समझौता वार्ता में हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार दोनों ही मदों की राशि पर ब्याज देनेका समझौता हुआ था। अत: इस मुद्दे को सोसायटी ने तुरन्त ही फैक्स पर पत्र भेजकर बैंक मैनेजमेंट से तुरन्त सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त श्री प्रवीण तायल, श्री बी.एम. शर्मा (एम.डी.) एवं श्री दीपक सरुपरिया (इ.डी.) से इस विषय में हम निरन्तर टेलीफोन पर बातकर निर्णय लेने के लिये आग्रह करते रहे हैं। बैंक के संचालक मंडल के उपरोक्त सदस्यों ने सोसायटी को बताया कि इस मद में बैंक पर कितनी राशि का भार पड़ेगा, इसके लिये पेंशन विभाग को तुरन्त केलकुलेशन करने के लिये कह दिया गया है। ज्योंही बैंक के पेंशन विभाग द्वारा इस राशि का केलकुलेशन हो जाएगा, बैंक मैनेजमेंट उचित निर्णय लेने के लिये प्रयास करेगा। इस मद में कुल 215 में से लगभग 155 पेंशनर्स प्रभावित हो रहे हैं जो कि 1996 के पहले रिटायर हो चुके हैं तथा जिन्हें, 1996 के पहले की पेंशन के एरियर की राशि का भुगतान बहुत देरी से अर्थात् जोलाई 1999 के बाद ही किया गया था।

साधारण सभा ने सर्वसम्मति से श्री आर.एल. जैन (अध्यक्ष), श्री एस.एल. माहेश्वरी (महामंत्री) तथा श्री प्रभुलाल जैन (संयुक्त मंत्री) को संयुक्त रूप से इस संबंध में बैंक मैनेजमेंट से वार्ता कर आवश्यक निर्णय लेने का सम्पूर्ण अधिकार प्रदान किया है।

हमने बैंक मैनेजमेंट से आग्रह किया है कि इस संबंध में वार्ता के लिये सोसायटी के प्रतिनिधि मुम्बई आने के लिए तैयार है। हमें श्री दीपक हीरण, तत्कालीन उपमहाप्रबंधक जो कि इस संबंध में हुई बैंक मैनेजमेंट की मुम्बई वार्ता में मौजूद थे से भी सम्पर्क साधा है तथा उन्होंने भी बैंक मैनेजमेंट को इस संबंध में हुई समझौता वार्ता में इस मद में ब्याज के भुगतान पर बात होने की पुष्टि मैनेजमेंट को कर दी है।

हमें आशा है कि बैंक मैनेजमेंट इस विषय में शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लेकर हमें अवगत करायेगा, अन्यथा हम मुम्बई जाकर बैंक मैनेजमेंट से वार्ता कर उन्हें सकारात्मक निर्णय लेने के लिये आग्रह करेंगे।

दोनों ही मदों में 9% वार्षिक दर से ब्याज के भुगतान पर बैंक के निर्णय के बाद ही दोनों पक्ष समझौता कर संबंधित कोर्ट में अपनी पिटिशन प्रस्तुत करेंगे, ताकि बैंक संबंधित पेंशनर्स को ब्याज की राशि का भुगतान कर सकें। ज्योहीं इस संबंध मेंअंतिम निर्णय होगा हम संबंधित सदस्यों को इस बारे में अवगत करा देंगे।

हमे आशा करते हैं कि संबंधित सदस्य हमारे इस निरन्तर प्रयास में धैर्य से प्रतीक्षा करने का कष्ट करेंगे।

7. सदस्यों के विचार एवं सुझाव :-

जयपुर चेप्टर के सचिव श्री राधेश्याम परवाल द्वारा साधारण सभा के विचार के लिये निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जिनको सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर पारित कर लिये :-

(1) सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष श्री डी.एस. रावत एवं श्री एम.सी. बरला को सोसायटी के संरक्षक मनोनीत किये गये। संरक्षक सदस्य सोसायटी की कार्यकारिणी की हर मीटिंग में स्थायी आमन्त्रित सदस्य के रूप में भाग लेते रहेंगे।

(2) बैंक द्वारा देरी से किये गये ब्याज के भुगतान की राशि पर संबंधित सदस्य सोसायटी को **उनको हुए भुगतान की राशि का 5 प्रतिशत** सोसायटी के फंड में आवश्यक रूप से अपने अंशदान के रूप में जमा करायेगा।

(3) सोसायटी के निवर्तमान कार्यकारिणी के सदस्यों को उनके द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये सदस्यों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद।

भीलवाड़ा के श्री कन्हैयालाल मूंदड़ा ने प्रस्तावित किया किसोसायटी की अगली साधारण सभा भीलवाड़ा में भीलवाड़ा चेप्टर के सान्निध्य में आयोजित की जाए। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। उनके इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया कि सोसायटी की कार्यकारिणी की मीटिंग में सभी चेप्टर्स के अध्यक्ष अथवा सचिव में से किसी एक को आमन्त्रित सदस्य के रूप में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया जाए।

सभा में सोसायटी के कई सदस्यों ने सोसायटी तथा इसके सदस्यों के हितार्थ कई उपयोगी सुझाव दिये, खासकर बैंक द्वारा शीघ्र परिचय पत्र जारी करवाना तथा सदस्यों के लिये चिकित्सा सहायता योजना के लिये प्रयत्न करना।

श्री कुंजबिहारी शर्मा (कोटा) ने यह सुझाव दिया कि यदि किसी पैंशनर ने फेमेली की पेंशन के लिये अपने नोमीनि के नाम को बैंक को सूचित नहीं किया है तो वे तुरन्त इस संबंध में पेंशन विभाग को सूचित करें। इसके अतिरिक्त नोमीनि के जन्म दिनांक की सूचना बैंक को अवश्य दे देवें ताकि बैंक अपने रिकॉर्ड को पूरा कर सकें।

साधारण सभा के प्रथम सत्र की समाप्ति के बाद सभी सदस्यों ने सोसायटी द्वारा आयोजित सामूहिक भोज में भाग लिया।

8. सोसायटी की पदाधिकारियों के अगले तीन वर्ष के लिये चुनाव :-

सोसायटी के संविधान के अनुसार कार्यकारिणी के सदस्यों के चुनाव हर 3 वर्ष के बाद होते हैं, अतः इस साधारण सभा में नई प्रबंध समिति के चुनाव सम्पन्न हुए।

नई प्रबंध समिति के चुनाव करवाने के लिए श्री अरुण ग्रोवर, सहायक महाप्रबंधक बैंक ऑफ राजस्थान लि., केन्द्रीय कार्यालय जयपुर को चुनाव अधिकारी मनोनीत किया गया। चुनाव अधिकारी श्री अरुण ग्रोवर ने चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करने के बाद सर्वसम्मति से निम्न सदस्यों के सोसायटी की प्रबंध समिति के लिये निर्विरोध चुनाव की घोषणा की।

1. श्री रणजीत लाल जैन — अध्यक्ष
   46, शास्त्री मार्ग, महावीर कॉलोनी, अशोक नगर, उदयपुर
   फोन : 2413722, मो. : 0941-3286939

2. मांगीलाल ओझा — उपाध्यक्ष
   70/6, प्रताप नगर (आरएचबी), सांगानेर - 303906
   फोन : 2790082

3. श्री राधेश्याम अग्रवाल — उपाध्यक्ष
2/29, भदादा स्ट्रीट, भीलवाड़ा
फोन : 225862
मो. : 9414262052

4. श्री एस.एल. माहेश्वरी — महामंत्री
बी-97, आनन्दपुरी, मोती डूंगरीरोड़, जयपुर
फोन : 2600329, मो. : 9314809091

5. श्री कुंजबिहारी शर्मा — मंत्री
'ब्रज सदन' पॉवर हाऊस के पीछे, कोटा
फोन : 2363097

6. श्री चैतन्य कुमार जैन — संयुक्त मंत्री
267 ए, महावीर नगर, गोपालपुरा बाईपास, टोंक रोड़, जयपुर-18
फोन : 2376037

7. श्री प्रभुलाल जैन — संयुक्त मंत्री
8-डी, कालाजी गोराजी, न्यू कॉलोनी, उदयपुर
फोन : 2414457

8. श्री प्रवीण चन्द्र जैन — कोषाध्यक्ष
सी-87ए, जगराज मार्ग, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर-4
फोन : 2710476

9. श्री ओमप्रकाश ओझा — सदस्य
8, काला महादेव, कनक वृन्दावन, आमेर रोड़, जयपुर-2
टेलीफोन नं. 2632603

10. श्री रामेश्वर लाल अग्रवाल — सदस्य
8, राज कॉलोनी, स्टेशन रोड़, नीमच (म.प्र.) 458441
फोन : 222130

11. श्री कन्हैयालाल मूंदड़ा — सदस्य
125, एक्स्टेंशन वेस्ट, सुभाष नगर, भीलवाड़ा
फोन : 227674

12. श्री जगदीश प्रसाद गोयल — सदस्य
सी-40, तलवंडी, कोटा
फोन : 2406369

सोसायटी के संरक्षक

(1) श्री डी.एस. रावत

सी-5-401, कमल अपार्टमेंट् द्वितीय, बनीपार्क, जयपुर - 302016

फोन : 2207123

(2) श्री एम.सी. बरला

1 के-7, दादाबाड़ी, कोटा - 324009

फोन : 2503800

सोसायटी के सदस्यों की डायरेक्टरी

साधारण सभा में लिए निर्णय के अनुसार सोसायटी के सभी सदस्यों की एक डायरेक्टरी उनके नाम, पता एवं टेलीफोन नम्बरों के साथ तैयार करहर सदस्य को भेजने केलिये प्रकाशन के लिये प्रेस में दे दी गईहै। आशा है कि यह कार्य शीघ्र ही पूर्णहो जाएगा। तब सभी सदस्यों को यह डायरेक्टरी प्रेषित कर दी जाएगी। कृपया संलग्न प्रोफॉर्मा में आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी हमें तुरन्त भेज देवें अर्थात् दिनांक 20 नवम्बर, 2006 तक अवश्य भेज देवें।

सोसायटी के चेप्टरर्स

वर्तमान में सोसायटी के निम्न चेप्टर्स की स्थापना हो चुकी है :-

(1) अजमेर, (2) भीलवाड़ा, (3) जयपुर, (4) जोधपुर, (5) कोटा, (6) नीमच, (7) उदयपुर

सोसायटी के कार्यकलापों की सूचना समय-समय पर इन चेप्टर्स को दे दी जाती है तथा चेप्टर्स अपनी मीटिंग्स में इसकी सूचना सदस्यों को देते हैं।

शुभकामनाओं के साथ.....

Maheshwari

(एस.एल. माहेश्वरी)

महामंत्री